लखीसराय समाहरणालय

(जिला गोपनीय शाखा)

बिहार सरकार

आदेश

दिनांक–28.04.2021 को आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार की समीक्षा के उपरान्त कोविड संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिनांक–18.04.2021 के आदेश द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों के अतिरिक्त निम्न प्रतिबंध तत्काल दिनांक–15.05.2021 तक लागू करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार मुख्य सचिव, बिहार से प्राप्त आदेश तथा सरकार के विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार पटना के आदेश ज्ञापांक–जी/आपदा–06–02/2020–44/वि0स0को0, पटना, दिनांक–28.04.2021 द्वारा निम्न निदेश संसूचित किया गया है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में मैं संजय कुमार सिंह, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी सह समाहर्त्ता, लखीसराय द0प्र0स0 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोविड–19 संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने हेतु लोकहित एवं जनहित में जीवन/स्वास्थ्य की रक्षा के निमित्त यह आदेश निर्गत करता हूँ कि :–

- दिनांक–29.04.2021 से सारी दुकानें शाम 06 बजे की बजाय 04 बजे अपराह्न से बन्द हो जायेंगी।
- बाजारों में भीड़ को Staggering करने हेतु निर्गत संयुक्तादेश ज्ञापांक–1007/गो0, दिनांक–20.04.2021 द्वारा श्रेणीवार दुकानों को खोलने का दिवस निर्धारित किया गया है। आदेश ज्ञापांक–1021/गो0, दिनांक–24.04.2021 द्वारा कोविड–19 के प्रसार को नियंत्रित करने हेतु प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को सभी दुकानें एवं व्यापारिक/व्यवसायिक प्रतिष्ठानें पूर्णतः बन्द रखने का आदेश निर्गत है। उक्त अवधि में केवल दवा, दूध, फल, सब्जी, मांस, मछली, किराना तथा रेस्टोरेन्ट एवं भोजनालय (Take Away/ Home Delivery) को कोविड–19 प्रोटोकॉल के अनुपालन की शर्त्त के साथ खोलने की अनुमति दी जाती है। उपर्युक्त वर्णित प्रतिबंध दिनांक–15.05.2021 तक लागू रहेंगे।
- रात्रि कर्फ्यू शाम 06 बजे से सुबह 06 बजे तक रहेगा।
- विवाह समारोह के लिए 50 व्यक्तियों की एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। विवाह समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रभावी होगी। विवाह समारोह में डी0जे0 का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
- इस अवधि के दौरान सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे। (आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को छोड़कर)। सभी कर्मियों (सरकारी एवं गैर सरकारी सेवक) को घर से काम (Work from home) करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 04 बजे अप0 बन्द हो जाएगी।
- यह प्रतिबंध निम्न सेवाओं/गतिविधियों पर लागू नहीं होगा, परन्तु Corona से संबंधित Guidelines का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :–
  - सार्वजनिक परिवहन (50 प्रतिशत Seating क्षमता के अधीन)
  - E-commerce से जुड़ी सारी गतिविधियाँ
  - स्वास्थ्य प्रक्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान एवं गतिविधियाँ
  - ठेला पर फल/सब्जी की घूम–घूम कर बिक्री
  - कृषि एवं इससे जुड़े कार्य

Scanned with Ca

लखीसराय समाहरणालय

(जिला गोपनीय शाखा)

- रेस्टोरेन्ट एवं खाने की दुकान पर रात्रि 09 बजे तक Take home अनुमान्य होगा।

उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51–60 एवं भा0द0वि0 की धारा 188 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, लखीसराय/नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, लखीसराय/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, लखीसराय/सभी अंचल अधिकारी लखीसराय/सभी थानाध्यक्ष लखीसराय/सभी विभागीय पदाधिकारीगण/सभी क्षेत्रीय पदाधिकारीगण एवं सभी संबंधित उक्त निदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

(संजय कुमार सिंह) 28/4/21
जिला दण्डाधिकारी
लखीसराय।

ज्ञापांक 1050/गो0, लखीसराय, दिनांक 28-4-21

प्रतिलिपि: पुलिस अधीक्षक, लखीसराय/उप विकास आयुक्त, लखीसराय/अपर समाहर्त्ता, लखीसराय/सिविल सर्जन, लखीसराय/अनुमंडल दण्डाधिकारी, लखीसराय/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, लखीसराय/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, लखीसराय/प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन समाहरणालय, लखीसराय/कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, लखी0/वरीय कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय/खनिज विकास पदाधिकारी, लखीसराय/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, लखीसराय/कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर, लखीसराय/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, लखीसराय/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/सभी अंचलाधिकारियों/जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, लखीसराय/ जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, लखीसराय/पुलिस उपाधीक्षक (प्रारक्ष) एवं मुख्यालय, लखीसराय/अग्निशामालय पदाधिकारी, लखीसराय/आई.टी. प्रबंधक, लखीसराय/प्राचार्य, डायट, लखीसराय/सभी पुलिस निरीक्षकों/सभी क्षेत्रीय पदाधिकारीगण/सभी थानाध्यक्षों/समूह पदाधिकारी, विशेष शाखा, लखीसराय/वेतार पर्यवेक्षक, लखीसराय/परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, लखीसराय/सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, लखीसराय/आई0टी0 मैनेजर, लखीसराय को सूचनार्थ एवं लखीसराय जिले के वेबसाईट पर प्रकाशित करने तथा सभी संबंधित पदाधिकारियों को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक सहायक (विधि–व्यवस्था), बिहार, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक, भागलपुर/आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर/पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर/पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा), बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

(संजय कुमार सिंह) 28/4/21
जिला दण्डाधिकारी
लखीसराय।

E-mail ID: dm-lakhisarai.bih@nic.in
☎ 06346-232124 (O)/232490 (R)